



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112023-250028
CG-DL-E-11112023-250028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 11, 2023/कार्तिक 20, 1945

No. 652]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11, 2023/KARTIKA 20, 1945

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 834(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 33) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क), (कक), (ख), (खक) और (खख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2018 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2018 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, -
(क) उप-नियम (iii), (vi), (vii) और (viii) का लोप किया जायेगा।
(ख) उप-नियम (x) में, "किसी अध्यक्ष को कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर बुलाए गए विशेष सत्र, जहां अध्यक्ष स्वयं आपत्ति करेगा, में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थित बोर्ड सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों की सहमति और मतदान के बिना नहीं हटाया जा सकता" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष को कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर बुलाए गए विशेष सत्र, जहां अध्यक्ष स्वयं आपत्ति करेगा, में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थित बोर्ड सदस्यों में से

दो तिहाई सदनों की सहमति और मतदान के बिना हटाने के लिए कोई भी सिफारिश कुलाध्यक्ष को नहीं भेजी जाएगी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उप-नियम (xi) में, "कार्य सूची पर" शब्दों के पश्चात्, "कुलाध्यक्ष की सिफारिश पर" शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे।

3. मूल नियमों में, नियम 4 में, उप-नियम (1) में, -

(क) "बोर्ड के अध्यक्ष, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे और बोर्ड द्वारा एक पूर्व सदस्य का चयन किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "संबंधित भारतीय प्रबंधन संस्थान के बोर्ड के अध्यक्ष, एक कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति और संबंधित भारतीय प्रबंधन संस्थान के बोर्ड द्वारा चयनित एक प्रसिद्ध व्यक्ति" शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) "समिति बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार काम करेगी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ग) "बोर्ड द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर की नामांकन समिति द्वारा सिफारिश किये गए नामों के पैनल से सदस्य का चयन किया जाएगा" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

4. मूल नियमों के नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"6क. निदेशक के चयन की प्रक्रिया- (1) बोर्ड खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गए नामों के पैनल में से तीन नामों का एक पैनल, वर्णमाला क्रम में, कुलाध्यक्ष को भेजेगा।

परंतु जहां बोर्ड खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गए नामों से संतुष्ट नहीं है, बोर्ड खोज-सह-चयन समिति से नई सिफारिशें करने के लिए कह सकता है।

(2) कुलाध्यक्ष बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गए नामों में से एक को नामांकित करेगा और उस व्यक्ति की निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को भेजेगा:

परंतु जहां कुलाध्यक्ष बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गए नामों से संतुष्ट नहीं है, वह बोर्ड से नई सिफारिशें करने के लिए कह सकता है।

(3) यदि कुलाध्यक्ष बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गए नामों के पैनल से संतुष्ट नहीं है, तो बोर्ड अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार उसी खोज-सह-चयन समिति या एक नई खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से सिफारिश किये गए तीन नामों का एक नया पैनल प्राप्त करेगा।

5. मूल नियम के नियम 7 में, उपनियम (1) में,

(क) खंड (iii) में, "पीएचडी के साथ विशिष्ट शैक्षणिक अथवा कम से कम 15 वर्ष के शिक्षण अथवा शोध अनुभव के साथ समकक्ष" शब्दों के स्थान पर "स्नातक और मास्टर दोनों स्तरों पर प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ विशिष्ट शैक्षणिक, और किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पीएचडी के साथ विशिष्ट शैक्षणिक अथवा कम से कम 15 वर्ष के शिक्षण अथवा शोध अनुभव के साथ समकक्ष" शब्द रखे जाएंगे।;

(ख) खंड (xix) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(xx) इस उप-नियम के किसी भी खंड में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि कुलाध्यक्ष यह विनिश्चय लेता है कि निदेशक की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं या निदेशक को संस्थान की सेवाओं से मुक्त किया जा सकता है, तो बोर्ड कुलाध्यक्ष के विनिश्चय का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।"

6. मूल नियमों के नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:-

"8. संस्थान के शासी बोर्ड का निलंबन या विघटन.- (1) यदि, किसी भी समय, कुलाध्यक्ष की राय है, -

(क) बोर्ड के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण, वह इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कार्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

(ख) बोर्ड ने इस अधिनियम के अधीन कुलाध्यक्ष द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा उसके अधीन अधिदेपित कार्यों के निर्वहन या कर्तव्यों के निष्पादन में लगातार चूक की है और ऐसी चूक के परिणामस्वरूप संस्थान की शैक्षणिक स्थिति या संस्थान के शासन को नुकसान हुआ है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो लोक हित में ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं, कुलाध्यक्ष, आदेश द्वारा, बोर्ड को भंग कर सकता है और ऐसी अवधि के लिए, जो छह महीने से अधिक नहीं होगी, यथास्थिति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अंतरिम बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त कर सकता है, और उन्हें अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दे सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आदेश जारी होने पर, बोर्ड को भंग करना, -

(क) बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-पदेन सदस्य, विघटन की तारीख से, अपने पद छोड़ देंगे;

(ख) सभी शक्तियां, कार्य और कर्तव्य, जो, अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन, बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किए जा सकते हैं, का प्रयोग या निर्वहन उप-नियम (1) में संदर्भित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा तब तक किया जाएगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 10 के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया जाता है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन गठित अंतरिम बोर्ड की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व, कुलाध्यक्ष संस्थान के अध्यक्ष का नया नामांकन करेगा और संस्थान के बोर्ड के नए अध्यक्ष और पदेन सदस्य अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों एवं नियम 4 के अनुसार बोर्ड के गैर-पदेन सदस्यों का चयन का कार्य पूरा करेंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति जिसने उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन अपना पद छोड़ा था, उसे पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।

9. **निदेशक की सेवाओं की समाप्ति.-** (1) निदेशक की सेवा किसी भी समय कुलाध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर या तीन महीने के नोटिस के बदले में तीन महीने के मूल वेतन के बराबर राशि देकर समाप्त की जा सकती है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई भी निर्देश देने से पहले निदेशक को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

[फा. सं. 8-10/2022-टीएस.वी]

पूर्णेन्दु किशोर बनर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 6 दिसंबर, 2018 में संख्या सा.का.नि. 1181(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 20 अप्रैल, 2022 में सा.का.नि 302(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2023

G.S.R. 834(E). — In exercise of the powers conferred by clauses (a), (aa), (b), (ba) and (bb) of sub-section (2) of section 34 of the Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Indian Institutes of Management Rules, 2018, namely: —

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Indian Institutes of Management (Amendment) Rules, 2023.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Institutes of Management Rules, 2018 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3,—
 - (a) sub-rules (iii), (vi), (vii) and (viii) shall be omitted;
 - (b) in sub-rule (x), for the words “No Chairperson can be removed”, the words “No recommendation for removal of Chairperson shall be forwarded to the Visitor” shall be substituted; and
 - (c) in sub-rule (xi), after the words “agenda for”, the words “recommendation to the Visitor for” shall be inserted.
3. In the principal rules, in rule 4, in sub-rule (1), —
 - (a) for the words “Chairperson of the Board, one eminent person and one alumni to be selected by the Board”, the words “Chairperson of the Board of the concerned Indian Institute of Management, one Visitor’s nominee and one eminent person selected by the Board of the concerned Indian Institute of Management” shall be substituted;
 - (b) the words “The Committee shall act in accordance with the regulations made by the Board.” shall be omitted;
 - (c) the words “The Board shall select the member from the panel of names recommended by the Board of Governor’s Nomination Committee.” Shall be inserted at the end.
4. After rule 6 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely: —

“6A. Procedure for selection of the Director. — (1) Board shall send a panel of three names from the panel of names recommended by the search-cum-selection committee, in alphabetical order to the Visitor.

Provided that where the Board is not satisfied with the names recommended by the search-cum-selection committee, the Board may ask the search-cum-selection committee to make fresh recommendations.

 - (2) The Visitor shall nominate one of the names recommended by the Board and send the same to the Board for appointment of the person as Director:
 Provided that where the Visitor is not satisfied with the names recommended by the Board, he or she may ask the Board to make fresh recommendations.
 - (3) If the Visitor is not satisfied with the panel of names recommended by the Board, the Board shall get a fresh panel of three names recommended as per the provisions of sub-section (3) of section 16 of the Act, through the same search-cum-selection committee or a fresh search-cum-selection committee.”.
5. In rule 7 of the principal rules, in sub-rule (1), —
 - (a) in clause (iii), for the words “distinguished academic with PhD or equivalent”, the words “distinguished academic with first class degree in both Bachelor’s and Master’s level, and with PhD or equivalent from a reputed institute,” shall be substituted;
 - (b) after clause (xix), the following clause shall be inserted, namely: —
 “(xx) Notwithstanding anything contained in any of the clauses of this sub-rule, if the Visitor

decides that the services of the Director may be terminated or the Director may be relieved from the services of the Institute, the Board shall be bound to follow the decision of the Visitor.”.

6. After rule 7 of the principal rules, the following rules shall be inserted, namely: —

“8. Suspension or dissolution of the Board of Governors of the Institute. — (1) If, at any time, the Visitor is of the opinion, —

- (a) that, on account of circumstances beyond the control of the Board, it is unable to discharge the functions or perform the duties imposed on it by or under the provisions of this Act; or
- (b) that the Board has persistently defaulted in complying with any direction given by the Visitor under this Act or in the discharge of the functions or performance of the duties imposed on it by or under provisions of this Act and as a result of such default academic position of the Institute or the Governance of the Institute has suffered; or
- (c) that circumstances exist which render it necessary in the public interest so to do, the Visitor may, by order, dissolve the Board and appoint a person or persons as the Chairperson and members of an interim Board, as the case may be, for such period, not exceeding six months, and direct them to exercise powers and discharge functions under the Act.

(2) Upon issuance of an order under sub-rule (1), dissolving the Board, —

- (a) the Chairperson and non *ex-officio* members of the Board shall, as from the date of dissolution, vacate their offices as such;
- (b) all the powers, functions and duties which may, by or under the provisions of the Act, be exercised or discharged by or on behalf of the Board shall, until the Board is reconstituted under section 10 of the Act, be exercised and discharged by the person or persons referred to in sub-rule (1).

(3) On or before the expiration of the period of interim Board constituted under sub-rule (1), the Visitor shall make a fresh nomination of the Chairperson of the Institute and fresh Chairperson and *ex-officio* members of the Board of the Institute shall complete selection of the non *ex-officio* members of the Board in accordance with the provisions of section 10 of the Act and rule 4.

(4) Any person who had vacated his office under clause (a) of sub-rule (1) shall not be deemed to be disqualified for re-appointment.

9. Termination of services of Director. — (1) The service of the Director may be terminated by the Visitor at any time by giving three months’ notice in writing or in *lieu* of three months’ notice, an amount equivalent to the basic pay for three months.

(2) The Director shall be given an opportunity to express the views before any direction is given under sub-rule (1).”.

[F. No. 8-10/2022-TS.V]

PURNENDU KISHORE BANERJEE, Jt. Secy.

Note:The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 6th December, 2018, *vide* number G.S.R. 1181 (E), dated the 5th December, 2018 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 302 (E), dated the 7th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 20th April, 2022.